संoसंo—14 / विविध—50 / 2017
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ई—मेल

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

501(14)

सेवा में,

1. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार,
2. सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक— 18-02-2025

विषयः— बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत / सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति / पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों की कैशलेश चिकित्सा सुविधा हेतु अपेक्षित मानक के अस्पतालों एवं जॉच घरों के साथ एकरारनामा कर सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः— स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—1891(14), दिनांक—09.08.2024 एवं ज्ञापांक—307(14), दिनांक—31.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सबध मे सूचित करना है कि विभागीय सकल्प संख्या—1891(14), दिनाक—09 08 2024 की कडिका—14 के आलोक मे बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत / सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति / पत्नी, उनके परिवार के सदस्यो तथा पारिवारिक पेंशनरो की कैशलेश चिकित्सा सुविधा हेतु अपेक्षित मानक के अस्पतालों एवं जॉच घरो के निर्धारण एवं प्रक्रिया हेतु विभागीय ज्ञापाक—307(14), दिनांक—31 01 2025 द्वारा SOP निर्गत किया गया है।

उक्त SOP की कडिका—(B) II (1) मे प्रावधानित है कि सबंधित जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधिश की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य संबधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन होगे। उक्त कमिटी द्वारा SOP प्राप्ति के 01 महीना के अन्दर अस्पतालों / जॉच घरों को चिन्हित किया जायेगा तथा SOP की कडिका—(B) II (9) के आलोक में चिन्हित अस्पतालों / जॉच घरों के साथ कैशलेश चिकित्सा हेतु एकरारनामा संबधित जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा। तदोपरान्त चिन्हित किये गये अस्पतालो / जॉच घरों की अनुशंसा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 दिनों के अन्दर की जायेगी।

अत. अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधान के आलोक मे सबधित जिला के प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर अपेक्षित मानक के अस्पतालों / जॉच घरों को चिन्हित करते हुए उनके साथ एकरारनामा कराकर 02 सप्ताह के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय, पटना को इसकी सूची उपलब्ध कराने की कार्रवाई किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन
Adityeprakash 18/2/2025
(आदित्य प्रकाश)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक—14 / विविध —50 / 20217 501(14) पटना, दिनांक— 18-02-2025

प्रतिलिपिः—महानिबधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपिः—राज्य के सभी जिलो के प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि अपने जिला के जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन से समन्वय स्थापित कर चिन्हित अस्पतालो एव जॉच घरों से एकरारनामा कर 02 सप्ताह के अन्दर सूची माननीय उच्च न्यायालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा करेगे।

प्रतिलिपिः—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Adityaprakash 18/2/2025
सरकार के अपर सचिव।

D/Vinay Sir/Letter 779

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या–1891(14), दिनांक–09.08.2024 की कंडिका–14 के आलोक में बिहार राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों की नकद–रहित (cashless) चिकित्सा हेतु अपेक्षित मानक के अस्पतालों एवं जाँच घरों के निर्धारण एवं प्रक्रिया हेतु SOP :–

(A) एकरारनामा किये जाने हेतु अस्पतालों एवं जाँच घरों के मानक का निर्धारण :–

I. बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारियों, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, एवं उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के नकद–रहित (Cashless) उपचार के लिए अस्पतालों एवं जॉच घरों के साथ एकरारनामा करने हेतु निम्न मानकों का पालन किया जाना है।

(परिवार से तात्पर्य है, न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पति/पत्नी एवं उनके ऊपर पूर्णतः आश्रित माता–पिता, अविवाहित बच्चे एवं सौतेले बच्चे)

1. अस्पताल एवं जॉच घरों का मानक निम्न में से एक होना चाहिए :–

(i) बिहार राज्य के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल/संस्थान एवं सरकारी जाँच घर,

(ii) बिहार राज्य के अन्तर्गत National Medical Commission (NMC) / Medical Council of India (MCI) /National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) द्वारा प्रमाणित अस्पताल एवं जाँच घर,

(iii) बिहार राज्य के अन्तर्गत National Accreditation Board of Hospital (NABH)/National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accreditated अस्पताल/संस्थान/Laboratories एवं

(iv) CGHS द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान एवं जाँच घर।

(B) नकद–रहित (cashless) चिकित्सा हेतु अपनाई जानेवाली प्रक्रिया :–

II. बिहार राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा के लिए चिन्हित करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जा सकती है :–

1. संबंधित जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया जायेगा जिसके सदस्य संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन होंगे, उक्त कमिटी द्वारा जिले में मानक के अनुसार/अनुरूप अस्पताल एवं जॉच घरों को चिन्हित किया जायेगा एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के चिन्हित अस्पतालों/जॉच घरों के साथ एकरारनामा करने के उपरान्त उसकी अनुशंसा माननीय उच्च न्यायालय, पटना को दी जायेगी।

(i) कमिटी द्वारा SOP प्राप्ति के एक महीने के अन्दर अस्पतालों/जॉच घरों को चिन्हित किया जायेगा एवं चिन्हित किये गये अस्पतालों/जॉच घरों की अनुशंसा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पन्द्रह दिनों के अन्दर की जायेगी।

(ii) कमिटी की बैठक प्रत्येक चार महीने पर की जायेगी, जिसमें पूर्व में अनुशंसित अस्पतालों एवं जॉच घरों का मानक के आधार पर Review करने हेतु तथा नये अस्पतालों एवं जॉच घरों को मानक के आधार पर मौजूदा सूची में जोडने/हँटाने हेतु कमिटी के समक्ष प्रस्ताव रखा जायेगा। इसकी भी अनुशंसा कमिटी की बैठक के एक महीने के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय, पटना को की जायेगी। (कमिटी में प्रस्ताव सिविल सर्जन द्वारा रखा जायेगा)।

2. बिहार राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर उनका हेल्थ कार्ड माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा। साथ ही नये आश्रितों एवं कार्ड नवीनीकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा किया जायेगा।
3. हेल्थ कार्ड निर्गत करने के संबंध में निम्न विशिष्टताओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा :–

(i) न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी का फोटोग्राफ युक्त हेल्थ कार्ड पर उनके आधार कार्ड का नम्बर अंकित होना आवश्यक होगा।

(ii) बिहार राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए अलग–अलग फोटोग्राफ युक्त हेल्थ कार्ड,

(iii) आश्रितों के प्रत्येक हेल्थ कार्ड पर संबंधित न्यायिक पदाधिकारी का नाम एवं उनसे लाभुकों के संबंध का उल्लेख किया जाना।

4. **नोडल पदाधिकारी**– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा सुविधा की देख–रेख हेतु किसी पदाधिकारी को उक्त कार्य के लिए नोडल ऑफिसर नामित किया जाएगा, उनके साथ एक सहायक (कर्मी) को भी उक्त कार्य हेतु साथ रखा जा सकता है, जिससे सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों, उनके पति/पत्नी एवं परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा सुविधा पाने में किसी प्रकार की असहज स्थिति में सम्पर्क किया जा सके।

5. **Resource Person**–चिन्हित सरकारी अस्पतालों/जाँच घरों हेतु सिविल सर्जन तथा निजी अस्पतालों/जाँच घरों के लिए वहां के प्रबंधक द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों, उनके पति/पत्नी एवं परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा सुविधा हेतु Resource Person के रूप में एक व्यक्ति को नामित किया जायेगा, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत हेल्थ कार्ड दिखाकर नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा सुविधा प्राप्त किया जा सकेगा।

6. Resource Person को नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा सुविधा के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर उनके कृत्य या लापरवाही से सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों, उनके पति/पत्नी एवं परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को ईलाज के दौरान किसी प्रकार की असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है तो संबंधित न्यायिक पदाधिकारी द्वारा इसकी सूचना नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी जायेगी एवं कमिटी की बैठक में उचित निर्णय लिया जायेगा।

7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा चिन्हित अस्पतालों/जाँच घरों के साथ नकद–रहित (Cashless) चिकित्सा हेतु एकरारनामा किया जायेगा। उक्त एकरारनामा में Resource Person का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित होना चाहिए। अगर नाम एवं मोबाईल नम्बर में बदलाव होता है तो सरकारी अस्पतालों/जाँच घरों का सिविल सर्जन द्वारा तथा निजी अस्पतालों/जाँच घरों के प्रबंधक द्वारा उनका नाम एवं मोबाईल नम्बर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय को दी जायेगी। Resource Person का नाम एवं मोबाईल नम्बर की सूची तैयार कर उक्त सूची को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना तथा अपने जिले के सभी सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के ईलाज के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—1891(14), दिनांक—09.08.2024 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
9. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेश जारी किये जाने के उपरान्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने जिलों के अधीन सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों/जाँच घरों से न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा सुविधा के संबंध में एकरारनामा करेंगे, जो बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर समान रूप से प्रभावी होगा।

राज्य के बाहर नकद—रहित (Cashless) सेवा हेतु किसी इन्श्योरेंस कंपनी (सरकारी हो तो बेहतर) की सेवा लेना श्रेयस्कर होगा।

विश्वासभाजन
ह०/—
(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक--14/विविध —50./2017 307(14) पटना, दिनांक— 31.01.2025

प्रतिलिपि :—महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित करने की कृपा करेंगे।

प्रतिलिपि :— सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सभी असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— कमिटी के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31.1.25

सरकार के अपर सचिव।